न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-82/2020/भीलवाड़ा कैम्प

1. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि शंभू गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी उदा का खेड़ा,ग्राम पंचायत बरसनी, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. श्री काना पिता देवी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी उदा का खेड़ा,ग्राम पंचायत बरसनी, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा(राज0)
3. श्रीमति उगमी पत्नि काना गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी उदा का खेड़ा, ग्राम पंचायत बरसनी, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा(राज0)

—अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 माण्डल आसीन्द जिला भीलवाड़ा(राज0)

—प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय श्रीमान अपर जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 19/2011 आवंटन निरस्तीकरण बउनवान राजस्थान राज्य बनाम श्रीमति प्रेमदेवी वगैरह निर्णय दिनांक 30.03.2012

उपस्थित अभिभाषकः— श्री आदित्य नारायण(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—03.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम बरसनी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 10 रकबा 1.05 हे0 भूमि दिनांक 09.12.2004 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। मगर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही कर आवंटित आराजी के 0.15 हे0 भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा था। इसके फलस्वरूप तहसीलदार आसीन्द द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17(अ) में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण संख्या 19/2011 के रूप में दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई 30 मार्च 2011 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट आवंटी के पक्ष में ग्राम बरसनी मे किया गया आवंटन दिनांक 09.12.2004 के भूमि आवंटन को निरस्त करते हुए भूमि को बिलानाम सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया गया।

उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा दिनांक 14.05.2012 को तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को 156/12 नम्बर पर दर्ज किया गया तथा तत्समय पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2013 को वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर के आदेश को स्वीकार किया गया। दिनांक 17.12.2019 को उक्त पत्रावली राजस्व ग्रुप-6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु स्थानांतरित प्राप्त होने से सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। न्यायालय हाजा में उक्त पत्रावली को 82/2020 नम्बर देते हुए दिनांक 25.02.2020 को अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहें। राजकीय अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दौहराया तथा मुख्य रूप से यह कहा कि खनन कार्य वाले क्षेत्र के पास आंशिक रकबा पड़त है। दिनू तोषनीवाल की आराजी मेरी आराजी के पास स्थित है। उसने दीवार बनाकर पत्थर रखे हुए है। कुछ पत्थर मेरे खेत में आ गये है। इसी बात पर मौका पर्चा में मेरे खेत में खनन होना बताया गया था। अपील स्वीकार कर आवंटन बहाल किया जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद बिन्दु में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 30.03.2012 का है तथा तत्समय अपीलांट के द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 14.05.2012 को अपील प्रस्तुत करना पाया गया है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाधीन आदेश ,अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2012 का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं का अवलोकन किया गया। नामातंरण संख्या 646 ग्राम बरसनी के अनुसार आवंटित खसरा नम्बर 10 का कुल रकबा 1.48 हे0 था। इसमें से 1.05 हे0 भूमि अपीलांटगण प्रेमी पत्नि शम्भू, काना पिता देवी, उगमी पत्नि काना गुर्जर साकिनदेह उदा का खेड़ा गैर खातेदारी के रूप में दर्ज किया हुआ हैं संवत 2061 बताया हुआ है। उक्त आवंटन दिनांक 09.12.2004 को होना बताया है। उक्त आवंटन तहसीलदार आसीन्द द्वारा स्वीकृत पाया जाता है। जमाबन्दी ग्राम बरसनी संवत 2066–69 खाता संख्या नया 934 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 5972/10 रकबा 1.05 हे0 अपीलांटगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। मौका पर्चा द्वारा पटवारी बरसनी दिनांक 15.03.2011 के अनुसार यह भूमि आवंटन रकबा एवं बिलानाम रकबा को मिला रखा है। मौके पर पड़त पड़ी है। आवंटन रकबा 1.05 हे0 में से 0.15 हे0 लीज जयकिशन यादव निवासी ब्यावर के साथ लगा रखा है। मौके पर मौजूदा में कोई फसल काश्त नही हो रखी है। बंजड़ पड़ी रखी है। आवंटन शर्तों की पालना नही की गई है। इससे पूर्व भी दिनांक 13.01.2011 को प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान 2010 कैम्प बरसनी के आदेश दिनांक 03.12.2010 के अनुसरण में भी विवादित भूमि का मौका नायब तहसीलदार द्वारा देखा गया था। जिसमें भी उन्होने यही बताया कि आवंटन शर्तों की पालना आवंटी द्वारा नही की गई है। भूमि को पड़त बताया है तथा आवंटित भूमि व बिलानाम भूमि को मिला रखा है तथा आंशिक भाग खनन ऐरिये में पड़ता है। इन्ही तथ्यों के आधार पर तहसीलदार आसीन्द द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा को आवंटन निरस्तकरण हेतु दिनांक 20.04.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उन्होने यह बताया कि आवंटित भूमि के आंशिक भू–भाग पर खनन कार्य किया जा रहा है। जिसकी वजह से आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना नही होना पाया जा रहा है। आवंटी को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 09.12.2004 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटिति का आवंटन 1 वर्ष के भीतर कम से कम पच्चास प्रतिशत में तथा दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि काश्त करनी होगी। उक्त आदेश के शर्त 5 में यह लिखा हुआ है कि सरकार उस भूमि का मुआवजा दिये बिना ही पुर्नग्रहण कर लेगी यदि उसमें उपनियम 3 के ठिकठाक पालना में खेती नही की गई हों और उसका उचित उपयोग नहीं किया गया हों या उस टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों गैर खातेदार अधिकारों पर व्यवहार के प्रतिकूल किसी अन्य व्यक्ति से शिकमी किरायेदार [illegible] गया है तथा हस्तांतरित कर दिया हों। तहसीलदार के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2011 [illegible] स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि आराजी नम्बर 5220/10 रकबा 1.05 [illegible] पर श्री जयकिशन निवासी ब्यावर द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। अपीलांट [illegible] भिभाषक द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2066–69 तथा संवत 2062–65 बाबत खसरा जमाबन्दी दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.18 10:21:53 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजात पटवारी द्वारा दिनांक 01.12.2010 को जारी किया जाना पाया जाता है। इनका भी यदि विश्लेषण किया जाये तो यह पाया जाता है कि खसरा गिरदावरी 2066–69 के दौरान सिर्फ 2066 में मूंग बोये जाना पाया जाता है तथा संवत 2062–65 में संवत 2065 के दौरान तिली बोयी जाना पाया जाता है एवं शेष वर्षों में कोई फसल बोया जाना नही पाया जाता है। खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश के शर्त संख्या 3 एवं 5अ तथा ब का उल्लघंन किया गया है। अपीलांट को आवंटित भूमि के आंशिक क्षेत्रफल पर पटवारी मौका रिपोर्ट में जयकिशन निवासी ब्यावर द्वारा आंशिक खनन करना इंगित किया है। स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटी द्वारा आवंटन आदेश के नियमों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया गया है। जहां तक मौका कमिशनर की रिपोर्ट की बात है, तत्समय पीठासीन अधिकारी आरएए भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 04.06.2013 को कमिशनर नियुक्ति बाबत तहसीलदार आसीन्द को सशर्त आदेश दिया था। जिसमें यह कहा गया था कि प्रार्थी आवंटी तहसील कार्यालय में एक हजार रूपये जमा कराये जाने बाबत विवादित भूमि में खनन संबंधी मौका रिपोर्ट तैयार की जायेगी। पत्रावली पर ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। जिससे यह जाहिर होता हो कि अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय आसीन्द में आदेश दिनांक 04.06.2013 के बाद कोई राशि जमा करवायी गई है। पत्रावली पर पूर्व में खनन संबंध बाबत मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी बरसनी दिनांक 13.03.2011एवं दिनांक 13.01.2011 उपलब्ध है। ऐसी अवस्था में बिना मौका कमिशनर रिपोर्ट प्राप्त किये मेरिट पर विश्लेषण किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण को गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया था। पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.03.2011, तहसीलदार आसीन्द का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2011 से यह स्पष्ट है कि आवंटी अपीलांट द्वारा नियमों और शर्तों के अनुरूप काश्त नहीं की गई है तथा कृषि से भिन्न कार्य किया जा रहा है। जो उचित नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 19/2011 उनवानी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द बनाम श्रीमति प्रेमदेवी एवं अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रयोजना में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17(अ) निर्णय दिनांक 30 मार्च 2012 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested